उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अधिहरण वाद सं0- 54/2015-16

राज्य–बनाम – 1. पीकऑप भेन सं0 –JH02X-2432 के चालक सुनिल सिंह
2. पीकऑप मेन सं0 –JH02X-2432 के मालिक

आदेश

इस वाद की कार्यवाही पु0 नि0 सह थाना प्रभारी, गोलमुरी थाना के डी0आर0 नं0–1704, दिनांकः–23/09/2015 के साथ गोलमुरी थाना काण्ड सं0–260/15, दिनांक 22.09.15 में जप्त सामग्रियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 के अन्तर्गत अधिहरण हेतु दिनांक 29/10/2015 को प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6(बी) के तहत कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया था।

विपक्षी सुनिल सिंह, पीकऑप भेन के चालक द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के कंडिका 3 से 11 तक में उल्लेख किया गया है कि " (3) For that this case has been started on the basis of an F.I.R. lodged at Golmuri P.S. on 22/09/15 by Smt Rajsree Lalita Bakhla Executive Magistrate Jamshedpur. The case of the informant in brief is that on receipt of confidential information she checked a pickup van near R.D. Tata High School Golmuri and on checking found 11 drums containing kerosene oil loaded on the van and on demand the driver failed to produce any document for carrying kerosene oil. (4) That the police on the basis of said F.I.R. has registered the present case u/s 7 E.C. Act against the petitioner who is the owner of the van. (5) For that the applicant has committed no offence and the said proceeding is misconceived and not maintainable. (6) For that the petitioner is only the driver of the pickup van and has nothing to do with the kerosene oil seized in this case. (7) For that the F.I.R. is absolutely vague as the informant has not disclosed as to which Order made u/s 3 of E.C. Act has been violated. (8) For that the petitioner without prejudice to his rights submits that at present there does not exist any order made u/s 3 of E.C. Act regulating storage, sale or distribution of kerosene oil in Jharkhand. (9) For that the informant of this case is not a person authorized by the Government to search and seize in such cases and as such the search and seizure done by him is illegal and without jurisdiction. It is a settled principle of law that a valid search and seizure is sine qua non for starting a criminal prosecution and in the absence of the same the criminal prosecution cannot continue and could be quashed. (10) For that vehicle seized in this case is lying at the police station in the open and is getting damaged. (11) For that

for the ends of justice it is necessary that this show cause is accepted and this proceeding is dropped and necessary order is passed for release of the seized vehicle."

पु0 नि0 सह थाना प्रभारी, गोलमुरी थाना के डी0आर0 नं0–1704, दिनांकः–23 / 09 / 2015 के साथ गोलमुरी थाना काण्ड सं0–260 / 15, दिनांक 22.09.15 में प्रतिवेदित किया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 22.09.2015 को राजश्री ललिता बखला, कार्यपालक दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर गोलमुरी थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ सूचना का सत्यापन हेतु जाँच के लिए प्रस्थान किये। जाँच के क्रम में समय 07.45 बजे पूर्वाह्न में आर0डी0टाटा गोलचक्कर के पास गोलमुरी के तरफ से एक पीकऑप भेन सं0 JH02X-2432 आयी, जिसपर लोहे के 11 ड्राम में 200x11=2200 ली0 किरासन तेल भरा था। उक्त वाहन के चालक सुनिल सिंह, सा0–कान्टापट्री, राजपुर, चतरा से किरासन तेल से संबंधित कागजात की माँग की गई, लेकिन किसी प्रकार को कोई कागजात नहीं दिखाया गया। जिससे स्पष्ट है कि वाहन चालक एवं वाहन मालिक के मिलीभगत से सरकारी किरासन तेल की कालाबाजारी कर रहे हैं। जो धारा–7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है। तत्पश्चात दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष उक्त सामग्रियों का विधिवत जप्ति सूची तैयार कर जप्त किया गया।

विपक्षी के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा, थाना प्रतिवेदन एवं उसके साथ संलग्न जप्त सूची सम्पूर्ण अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में उल्लेखित बातें बिना किसी वैधिक आधार के समावेषित किया है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। थाना प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि पीकऑप भेन सं0– JH02X-2432 में 11 ड्राम में कुल 2200 लीटर किरासन तेल बिना किसी वैध कागजात के अवैध रूप से चतरा से लाया जा रहा था, इससे स्पष्ट है कि विपक्षी उक्त किरासन तेल को कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी के नियत में अनाधिकृत रूप से बिक्री हेतु ले जा रहे थे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 3(2)(d) एवं 3(f)(b) का उल्लंघन है एवं धारा–7 में दण्डनीय अपराध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में गोलमुरी थाना काण्ड सं0–260 / 15, दिनांक 22.09.15 में 11 ड्राम में 200x11=2200 लीटर किरासन तेल एवं पिकऑप भेन JH02X-2432 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6(ए) के अंतर्गत अधिग्रहित किया जाता है। आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, थाना प्रभारी, गोलमुरी को भेजें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 31.05.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

31/05/2016

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

31/05/2016

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

C vide memo no. 1167(B)/R dt. 01/07/16 to SOR JSR officer-in-charge Golmuri P.S.

Issued copy 23/6/16.